FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Gurugram **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0009 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 07/03/2024 08:30 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	HARYANA DEVELOPMENT AND REGULATION OF URBAN AREAS ACT,1975	10
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	2
4	IPC 1860	471
5	IPC 1860	468
6	IPC 1860	467
7	IPC 1860	420
8	IPC 1860	218
9	IPC 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Thursday **Date from (दिनांक से):** 07/03/2024 **Date To (दिनांक तक):** 07/03/2024

Time Period (समय अवधि): Pahar 3 **Time From (समय से):** 06:00 hrs **Time To (समय तक):** 06:10 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/03/2024 **Time (समय):** 06:10 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 005 **Date and Time (दिनांक और समय):** 07/03/2024 06:15 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 140 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)

(b) Address (पता): जिला महेन्द्रगढ नारनौल,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): Nanhi devi

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 05/04/1976 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	jind, UCHANA, JIND, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	jind, UCHANA, JIND, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9053052110

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अमीष संघी		Father's Name: राधे श्याम संघी	1. निवासी मौहल्ला संघीवाडा नारनौल, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
2	निलेश संघी		Father's Name: राधे श्याम संघी	1. निवासी मौहल्ला संघीवाडा नारनौल, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
3	नवीन कुमार		Father's Name: लखमी चन्द	1. निवारसी पटीकरा तहसील नारनौल, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA

4	धीरज कुमार		Father's Name: शिव कुमार	1. गली नं0 19 रेवाडी रोड नारनौल,हाल कैलाश नगर,निवासी पटीकरा नारनौल, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
5	सुभाष यादव		Father's Name: तोताराम	1. निवासी पटीकरा तहसील नारनौल, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
6	रवि जांगिड		Father's Name: बाबुलाल जांगिड	1. गली नं0 3,निवासी केशव नगर नारनौल, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
7	अनुराग मान		Father's Name: औम प्रकाश मान	1. नजदीक मान जिम नारनौल,निवासी मौहल्ला मिश्रवाडा NNL,MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
8	ऋषिदत्त		Father's Name: ब्रह्मदत	1. वासी काठ मण्डी नारनौल, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
9	विकास शर्मा		Father's Name: राम सिंह	1. निवासी नई सराय नारनौल, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA
10	विकास तत्कालिन तहसीलदार		Father's Name: दरिया सिंह	1. निवासी धर्मगढ जिला पानीपत, PANIPAT,HARYANA,INDIA
11	अन्य नामालूम कर्मचारियों			1. तहसील नारनौल, MAHENDERGARH,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा मे, प्रबन्धक अफसर, थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरूग्राम । विषयः- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे तहरीर । श्रीमान जी, निवेदन यह है कि यह जांच मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 62/25/2023-4 चौकसी-(II) दिनांक 18.04.2023 की अनुपालना में कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा, पंचकूला के कार्यालय में आसूचना पर दर्ज रजिस्टर की जाकर कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 6579/आई0-2/ भ्र0नि0ब्यूरो(ह0) दिनांक 21.04.2023 को पड़ताल हेतू इस मण्डल में प्राप्त हुई । जिसमें निम्नलिखित आरोप की पड़ताल की जानी है ।

ऋषिदत्त पुत्र, ब्रहमदत्त वासी काठ मण्डी नारनौल, कृषि योग्य भूमि खेवट न0 615 खतौनी न0 777 खसरा न0 3905,3906 व 3907 में कुल 3 बिघा 13 बिस्वा (11041 वर्ग गज) का मालिक है । ऋषिदत्त की उपरोक्त भूमि की 02 Property ID क्रमश प्रोपर्टी आई0डी0संख्या HNMCW1002429 दिंनाक 07.04.2021 रकबा 1200 वर्ग गज भूमि व प्रोपर्टी आई0डी0 संख्या HNMCW1002442 दिंनाक 31.08.2021 रकबा 11041.25 वर्ग गज भूमि, बनवाई गई । ऋषिदत्त की यह भूमि रिहायश के लिए अनाधिकृत क्षेत्र में स्थित है जहां पर प्लॉटिंग नहीं की जा सकती थी । परन्तु ऋषिदत्त व कुछ Property Dealers ने नगर पालिका नारनौल के कर्मचारियों से मिली भगत करके Authorised Area Category की फर्जी प्रॉपर्टी आई डी0 संख्या HNMCW1002429 बनवाई और इस Property ID का दुरूपयोग कर एक NDC Generate की इस Property ID का दुरूपयोग कर तत्कालिन तहसीलदार विकास व तहसील के अन्य कर्मचारियों से मिलकर उपरोक्त भूमि पर एक अवैध कालोनी काट दी । उपरोक्त आरोपियो ने सामान्य जन को यह कालोनी वैध बताते हुऐ बेच दी तथा उनके साथ धोखाधडी की ।

अमीष कुमार संघी पुत्र श्री राधेश्याम संघी मौहल्ला संघीवाडा नारनौल ने ऋषिदत्त शर्मा से उसकी उपरोक्त जमीन का सोदा 3625/रूपये प्रति वर्ग गज की दर से कुल कीमत 3,70,70,000/रूपये में हुआ । ऋषिदत्त शर्मा ने कृषि भूमि में प्लोटिंग करने के लिए अमीष कुमार संघी पुत्र श्री राधेश्याम संघी निवासी संघीवाड़ा, नारनौल, निलेश कुमार संघी पुत्र श्री राधेश्याम संघी निवासी संघीवाडा, नारनौल से दिनांक 23.10.2020 को ईकरारनामा किया । अमीष कुमार संघी ने अपने बैंक खाता संख्या SBI 55035073991 से चैक न0 963399 से राशि 20 लाख रूप्ये व निलेश संघी ने अपने बैंक खाता संख्या 37441133366 से चैक न0 912000 राशि 20 लाख रूप्ये के दो चैक ऋषिदत्त शर्मा को दिये । ये चैक ऋषिदत्त शर्मा ने अपने पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 03600000100345145 मे दिनांक 17.02.2020 को जमा करवाये जो क्लीयर हो चुके है । अमीष कुमार संघी के इस जमीन के सौदे में नवीन कुमार पुत्र लक्ष्मीचन्द निवासी पटीकरा, रवि जांगिड पुत्र श्री बाबूलाल जांगिड निवासी गली न0 03, केशव नगर, नारनौल, अनुराग मान पुत्र श्री ओम प्रकाश मान निवासी मौहल्ला मिश्रवाडा नियर मान जिम, धीरज कुमार पुत्र श्री शिव कुमार निवासी पटीकरा हाल कैलाश नगर गली नम्बर 19, रेवाडी रोड नारनौल व सुभाष यादव पुत्र तोता राम निवासी पटीकरा अप्रत्यक्ष रूप में पार्टनर थे जिसमें 45 प्रतिशत हिस्सा नवीन, धीरज व सुभाष का था बाकि 55 प्रतिशत हिस्सा अमीष संघी उसके भाई निलेश संघी, रवि जांगिड व अनुराग मान का था ।

ऋषिदत्त शर्मा ने अपनी जमीन खेवट न0 582, खातौनी न0 750 खसरा न0 3905 रकबा 1 बिघा 11 बिस्वा, खसरा न0 3906 रकबा 14 बिस्वा व खसरा न0 3907 रकबा 1 बिघा 8 बिस्वा कुल 3 बिघा 13 बिस्वा मे से 8 बिस्वा (1200 वर्ग गज) भगवान परशुराम कॉलोनी नारनौल की प्रोपर्टी आई0डी0 बनवाने के लिये नगर परिषद नारनौल मे दिनांक 01.04.2021 को आवेदन किया । नगर पालिका में इस प्रोपटी आई0 डी0 की फाईल के अवलोकन से पाया गया की J.E विकास शर्मा ने दिनांक 06.04.2021 को ही रिपोर्ट अंकित की कि " Applicant apply for create New Property ID of Area 1200 Sq. Yard this Land non Agriculture. Which falls in un-approved area and not inculde M.C Land so report submit for further necessary action" उसी दिन दिनांक 06.04.2021 को ही E.E नगर परिषद, अंकित वशिष्ठ के पास भेज दी । उसके बाद E.E ने दिनांक 07.04.2021 को कृष्ण कुमार कार्यकारी अधिकारी प्रशासकीय नारनौल के पास भेज दी । दिनांक 08.04.2021 को प्रोपर्टी आई0डी0 HHMCW1002429 ऑनलाईन कृष्ण कुमार कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नारनौल ने ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड की । जिसमे प्लांट का क्षेत्रफल 1200 वर्ग गज का अधिकृत दर्शाया इसके अलावा इसकी श्रेणी भगवान परशुराम कॉलोनी खाली प्लाट रिहायशी दर्शाकर अपडेट की गई जबकि यह जमीन अनाधिकृत क्षेत्र में थी । परन्तु निदेशक शहरी स्थानीय निकाय हरियाणा पंचकूला के कार्यालय पत्र क्रमांक DULB/DMC-HQ/2023/628 दिंनाक 14.09.2023 के अनुसार प्राप्त रिकार्ड में नगर परिषद नारनौल द्वारा प्रोपर्टी आई0डी0 न0 HNMCW1002429 दिनांक 08.04.2021 रिपोर्ट अपलोड की गई उसमें

जे.ई विकास शर्मा द्वारा दिंनाक 06.04.2021 को की गई रिपोर्ट में Applicant apply for create New Property ID of Area 1200 Sq. yard. This Land is Agriculture land so report submit for further n/a की हुई है । विकास शर्मा जे.ई. ने प्रोपर्टी आई0डी0 बनने के बाद फाईल मे अपनी रिपोर्ट में This Land is Agriculture में is के स्थान पर Non व Which falls in unapproved area and not inculde M.C लिखकर प्रोपर्टी आई0 डी0 की रिपोर्ट में बदलाव कर छेडछाड की । J.E. विकास शर्मा ने रिपोर्ट मे यह बदलाव अपने आप को जवाबदेही से बचाने के लिये तथा अन्य सभी को गुमराह करने के लिए किया। यदी J.E. विकास ने सही तथ्यो वाली रिपोर्ट बनाई होती तो उपरोक्त प्रोपर्टी आई0डी0 कृष्ण कुमार तत्कालीन कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नारनौल द्वारा अधिकृत क्षेत्र की नही बनाई जाती और यह अधिकृत क्षेत्र की प्रोपर्टी आई0डी0 न0 HNMCW1002429 नहीं बनती । विकास शर्मा अनुबन्धित कनिष्ठ अभियन्ता नगर परिषद नारनौल पुत्र श्री रामसिंह निवासी नई सराय नारनौल ने अपने उच्च अधिकारियों के साथ धोखाधडी करके नगर परिषद के अन्य कर्मचारियो, ऋषिदत्त शर्मा, प्रोपर्टी डीलरो नवीन पुत्र लख्मीचन्द वासी पटीकरा व अमीष कुमार संघी पुत्र श्री राधेश्याम संघी मौहल्ला संघीवाडा नारनौल के साथ मिलीभगत करके अपनी रिपोर्ट में बदलाव करके फर्जी रिपोर्ट/रिकार्ड तैयार करके Authorised Area की Property ID बनाने मे उसका उपयोग करके धारा 218,420,467,468,471,120बी भा0द0स0 तथा 7 r/w Explanation 2 of PC Act] 1988 का अपराध किया है ।

ऋषिदत्त ने नगर परिषद नारनौल के कर्मचारियों से मिलीभगत करके भगवान परशुराम कालोनी, नारनौल में स्थित अनाधिकृत क्षेत्र की अपनी कुल 11041 वर्ग गज मे से 1200 वर्ग गज की Approved Category की प्रोपर्टी आई0डी0 नम्बर HNMCW1002429 बनवाने के बाद इस प्रोपर्टी आई0डी0 का प्रयोग कर विकास तहसीलदार नारनौल द्वारा वसीका नम्बर 512 दिंनाक 07.06.2021 में 1 बिस्वा 7 बिस्वांसी (रकबा 200 वर्ग गज) बाया रिहायसी प्लेन जगह दिखाकर इस प्लाट की चारो दिशाओं जिसमें पूर्व में जगह बाया की, पश्चिम में जगह बाया जो श्रीमति पूजा गोयल पत्नी श्री रोहित गोयल को बय की जा रही है । उत्तर में रास्ता 24 फुट चौडा व दक्षिण में जगह बाया का वर्णन किया हुआ है । वसीका के साथ नक्शा व NDC No. 034/2021-2022/034276975 लगी हुई है । जिससे यह स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि विकास तहसीलदार ने अन्य आरोपीयो से मिलिभगत करके अवैध क्षेत्र मे प्लाटिंग करवाई ।

वसीका नम्बर 513 दिंनाक 07.06.2021 मे 2 बिस्वा (रकबा 300 वर्ग गज) बाया रिहायसी प्लेन जगह दिखाकर इस प्लाट की चारो दिशाओं जिसमें पूर्व में जगह बाया की, पश्चिम में सी0सी0 टाईल रोड जो बडा बाग की तरफ गई, उत्तर में रास्ता 24 फुट चौडा व दक्षिण में जगह बाया का वर्णन किया हुआ है । वसीका के साथ नक्शा व NDC No. 034/2021-2022/034276975 लगी हुई है । जिससे यह स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि विकास तहसीलदार ने अन्य आरोपीयो से मिलिभगत करके एक षडयंत्र के तहत अवैध क्षेत्र मे अपने पद का दुरुपयोग करते हुएं प्लाटिंग करने मे सहयोग की ।

वसीका नम्बर 514 दिंनाक 07.06.2021 मे 2 बिस्वा 5 बिस्वांसी (रकबा 336 वर्ग गज) बाया रिहायसी प्लेन जगह दिखाकर इस प्लाट की चारो दिशाओं जिसमें पूर्व में रास्ता 20 फुट चौडा, पश्चिम में जगह बाया की, उत्तर में जगह बाया की व दक्षिण में रास्ता 24 फुट चौडा का वर्णन किया हुआ है । वसीका के साथ नक्शा व NDC नहीं लगी हुई है । जिससे यह स्पष्ट तौर पर साबित होता है । कि विकास तहसीलदार ने अन्य आरोपीयो से मिलिभगत करके एक षडयंत्र के तहत अवैध क्षेत्र मे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्लाटिंग करने मे सहयोग की ।

वसीका नम्बर 515 दिंनाक 07.06.2021 मे 13.5 बिस्वांसी (रकबा 100 वर्ग गज) बाया रिहायसी प्लेन जगह दिखाकर इस प्लाट की चारो दिशाओं जिसमें पूर्व में जगह बाया की जो श्रीमति सुनिता देवी पत्नी श्री बालकिशन को बैय की जा रही है, पश्चिम में जगह बाया, उत्तर में रास्ता 24 फुट चौडा व दक्षिण में जायदाद अन्य का वर्णन किया हुआ है । वसीका के साथ नक्शा लगा हुआ है NDC नही लगी हुई है । जिससे यह स्पष्ट तौर पर साबित होता है। कि विकास तहसीलदार ने अन्य आरोपीयो से मिलिभगत करके एक षडयंत्र के तहत अवैध क्षेत्र मे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्लाटिंग करने मे सहयोग की ।

वसीका नम्बर 516 दिंनाक 07.06.2021 मे 1 बिस्वा 12

बिस्वांसी (रकबा 236.66 वर्ग गज) बाया रिहायसी प्लेन जगह दिखाकर इस प्लाट की चारो दिशाओं जिसमें पूर्व में जगह बाया, पश्चिम में रास्ता 20 फुट चौडा, उतर में जगह बाया जो श्रीमति पूजा गोयल पत्नी श्री रोहित गोयल को बैय की जा रही है व दक्षिण में रास्ता 24 फुट चौडा का वर्णन किया हुआ है । वसीका के साथ नक्शा लगा हुआ है तथा NDC नही लगी हुई है । जिससे यह स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि विकास तहसीलदार ने अन्य आरोपीयो से मिलिभगत करके एक षडयंत्र के तहत अवैध क्षेत्र मे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्लाटिंग करने मे सहयोग की ।

जब आरोपी ऋषिदत की 1200 वर्ग गज भूमि की Authorized Category वाली फर्जी प्रोपर्टी आई0डी0 HNMCW1002429 का उपयोग कर वसीका के माध्यम से बेचने मे सफल हो गये तब उन्होने ऋषिदत्त शर्मा पुत्र श्री ब्रहमदत शर्मा निवासी मकान न0 198/10 काठ मण्डी, नारनौल के नाम से प्लाटों के रूप में अलग-अलग प्रोपर्टी आई0डी0 बनवाने के लिये दिंनाक 05.08.2021 को 18 आवेदन किये गये है ।

जिस पर नगर परिषद नारनौल ने कार्यवाही करते हुए नोट सीट तैयार की कि ऋषिदत्त पुत्र श्री ब्रहमदत ने भगवान परशुराम कालोनी नारनौल के नाम से रकबा 11041.25 वर्ग गज कृषि भूमि की नगर परिषद नारनौल में नई प्रोपर्टी आई0डी0 दर्ज करवाने बारे दिंनाक 05.08.2021 को आवेदन किया । जिस पर नगर परिषद नारनौल ने ऋषिदत्त पुत्र श्री ब्रहमदत वासी काठ मण्डी नारनौल द्वारा खेवट नम्बर 615 खतोनी 777 खसरा नम्बर 3905 में 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 3906 में 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 3907 में 1 बीघा 8 बिस्वा में कुल तादादी 03 बीघा 13 बिस्वा की टुकडो में प्लाट के रूप में प्रोपर्टी आई0डी0 न बनाकर कुल 3 बीघा 13 बिस्वा (11041 वर्ग गज) कृषि भूमि Unauthorised area की एक नई प्रोपर्टी आई0डी0 नम्बर HNMCW1002442 दिंनाक 31.08.2021 को बना दी । जमीन मालिक ऋषिदत्त पुत्र श्री ब्रहमदत शर्मा निवासी मकान न0 198/10 काठ मण्डी, नारनौल के कथनानुसार उसने केवल एक बार प्रोपर्टी आई0डी0 नम्बर HNMCW1002429 बनवाने के लिए अपने आधार कार्ड की फोटो प्रति अमीष संघी को दी थी । उसके नाम से दूसरी प्रोपर्टी आई0डी0 नम्बर HNMCW 1002442 अनाधिकृत क्षेत्र कृषि भूमि कुल 11041.25 वर्ग गज नगर परिषद नारनौल से बनी हुई है । इसके साथ लगे 18 आवेदन पत्र, शपथ पत्र, नक्शो व उसके आधार कार्ड की फोटो प्रतियों पर उसके हस्ताक्षर नहीं है । इन आवेदन पत्रो पर उसके नाम से फर्जी हस्ताक्षर किये गये है । जिसके कथन से यह स्पष्ट होता है कि ऋषिदत्त पुत्र श्री ब्रहमदत शर्मा निवासी मकान न0 198/10 काठ मण्डी, नारनौल ने दूसरी प्रोपर्टी आई0डी0 बनवाने के लिए नगर परिषद कार्यालय नारनौल में कोई आवेदन नहीं किया । किसी अन्य व्यक्ति ने नगर परिषद नारनौल के कर्मचारियों/अधिकारियों से मिली भगत करके ऋषिदत के नाम से आवेदन, शपथ पत्रो, नक्शो व उसके आधार कार्ड की फोटो प्रतियों पर फर्जी हस्ताक्षर किये है । नवीन कुमार पुत्र लख्मीचन्द वासी पटीकरा द्वारा ऋषिदत की जमीन की ली गई नकल जमाबन्दी वर्ष 2019-20 की फोटो प्रतियां सभी आवेदन पत्रों के साथ लगी हुई है । कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नारनौल की रिपोर्ट के अनुसार ऋषिदत शर्मा पुत्र ब्रहमदत निवासी काठ मण्डी नारनौल की भगवान परशुराम कालोनी नारनौल में 3 बिघा 13 बिस्वा जमीन अनाधिकृत क्षेत्र मे आती है इस भूमि की केवल एक ही प्रोपर्टी आई0डी0 कृषि योग्य भूमि अनाधिकृत क्षेत्र की ही बन सकती थी ।

विकास तहसीलदार नारनौल द्वारा ऋषिदत्त की भुमि की Unauthorised Category की प्रोपर्टी आई0डी0 नम्बर HNMCW 1002442 में 10 वसीकायें पंजीकृत की गई है । वसीका नम्बर 2798 दिंनाक 02.09.2021 मे 3 बिस्वा 16 बिस्वांसी (रकबा 568 वर्ग गज) पूर्व में रास्ता, पश्चिम मं2 जगह बाया, उतर में रास्ता 24 फुट चौडा व दक्षिण में मकान अन्य है का वर्णन किया हुआ है । तहसीलदार नारनौल से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार वसीका पंजीकृत करते समय विक्रेता द्वारा तहसील नारनौल में दिये गये दस्तावेज पेमेंट रिसिप्ट प्रोपर्टी आई0डी नम्बर HNMCW1002429 व NDC No. 034/2021-2022/034243657 दिंनाक 15.04.2021 जिसकी वैधता केवल 15 दिंन है, नवीन कुमार पुत्र लख्मीचन्द वासी पटीकरा द्वारा ऋषिदत की जमीन की ली गई नकल जमाबन्दी वर्ष 2019-20 की फोटो प्रतियां सभी आवेदन पत्रों के साथ लगी हुई है । जिससे यह स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि विकास तहसीलदार ने अन्य आरोपीयो से मिलिभगत करके एक षडयंत्र के तहत अवैध क्षेत्र मे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्लाटिंग करने मे सहयोग की ।

वसीका नम्बर 2801 दिंनाक 02.09.2021 मे 5 बिस्वा 8 बिस्वांसी (रकबा 810 वर्ग गज) पूर्व में जगह मनोज कुमार, पश्चिम सी0सी0रास्ता जो बडा बाग की तरफ गया, उतर मे

रास्ता 24 फुट चौडा व दक्षिण में रास्ता 25 फुट चौडा का वर्णन किया हुआ है । तहसीलदार नारनौल से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार वसीका पंजीकृत करते समय विक्रेता द्वारा तहसील नारनौल में दिये गये दस्तावेज पेमेंट रिसिप्ट प्रोपर्टी आई0डी नम्बर HNMCW1002429 व NDC No. 034/2021-2022/034243657 दिंनाक 15.04.2021 जिसकी वैधता केवल 15 दिंन है, नकल जमाबन्दी वर्ष 2019-20 नवीन कुमार पुत्र लख्मीचन्द वासी पटीकरा के नाम से प्राप्त है सलंग्न की हुई है । जिससे यह स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि यह वसीका प्लोटिग के लिए ही की गई है ।

वसीका नम्बर 2885 दिंनाक 03.09.2021 मे 1 बिस्वा 14 बिस्वांसी (रकबा 254 वर्ग गज) पूर्व में रास्ता, पश्चिम में जगह बाया, उतर में जायदाद अन्य की और दक्षिण में रास्ता 24 फुट चौडा का वर्णन किया हुआ है । तहसीलदार नारनौल से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार वसीका पंजीकृत करते समय विक्रेता द्वारा तहसील नारनौल में दिये गये दस्तावेज पेमेंट रिसिप्ट प्रोपर्टी आई0डी नम्बर HNMCW1002429 व NDC No. 034/2021-2022/034243657 दिंनाक 15.04.2021 जिसकी वैधता केवल 15 दिंन है, नकल जमाबन्दी वर्श 2019-20 नवीन कुमार पुत्र लख्मीचन्द वासी पटीकरा के नाम से प्राप्त है सलंग्न की हुई है । जिससे यह स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि विकास तहसीलदार ने अन्य आरोपीयो से मिलिभगत करके एक षडयंत्र के तहत अवैध क्षेत्र मे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्लाटिंग करने मे सहयोग की ।

वसीका नम्बर 2892 दिंनाक 03.09.2021 मे 1 बिस्वा 8 बिस्वांसी (रकबा 210 वर्ग गज) पूर्व में जगह बाया, पश्चिम में जगह बाया, उतर में रास्ता 24 फुट चौडा व दक्षिण में जगह अन्य का वर्णन किया हुआ है । तहसीलदार नारनौल से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार वसीका पंजीकृत करते समय विक्रेता द्वारा तहसील नारनौल में दिये गये दस्तावेज पेमेंट रिसिप्ट प्रोपर्टी आई0डी नम्बर HNMCW1002429 व NDC No. 034/2021-2022/034243657 दिंनाक 15.04.2021 जिसकी वैधता केवल 15 दिंन है, नकल जमाबन्दी वर्ष 2019-20 नवीन कुमार पुत्र लख्मीचन्द वासी पटीकरा के नाम से प्राप्त है सलंग्न की हुई है । जिससे यह स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि विकास तहसीलदार ने अन्य आरोपीयो से मिलिभगत करके एक षडयंत्र के तहत अवैध क्षेत्र मे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्लाटिंग करने मे सहयोग की ।

वसीका नम्बर 2907 दिंनाक 03.09.2021 मे 19 बिस्वांसी (रकबा 138 वर्ग गज) पूर्व में जगह बाया, पश्चिम में जगह नरेन्द्र कुमार , उतर में जगह बाया व दक्षिण में रास्ता 24 फुट चौडा का वर्णन किया हुआ है । तहसीलदार नारनौल से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार वसीका पंजीकृत करते समय विक्रेता द्वारा तहसील नारनौल में दिये गये दस्तावेज पेमेंट रिसिप्ट प्रोपर्टी आई0डी नम्बर HNMCW1002429 व NDC No. 034/2021-2022/034243657 दिंनाक 15.04.2021 जिसकी वैधता केवल 15 दिंन है, नकल जमाबन्दी वर्ष 2019-20 नवीन कुमार पुत्र लख्मीचन्द वासी पटीकरा के नाम से प्राप्त है सलंग्न की हुई है । जिससे यह स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि विकास तहसीलदार ने अन्य आरोपीयो से मिलिभगत करके एक षडयंत्र के तहत अवैध क्षेत्र मे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्लाटिंग करने मे सहयोग की ।

वसीका नम्बर 3402 दिंनाक 10.09.2021 मे 18 बिस्वांसी (रकबा 133.33 वर्ग गज) पूर्व में जगह गोपी चन्द गोयल, पश्चिम में जगह श्रीमति बरखा गोयल , उतर में रास्ता 24 फुट चौडा व दक्षिण में जगह अन्य का वर्णन किया हुआ है । तहसीलदार नारनौल से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार वसीका पंजीकृत करते समय विक्रेता द्वारा तहसील नारनौल में दिये गये दस्तावेज पेमेंट रिसिप्ट प्रोपर्टी आई0डी नम्बर HNMCW1002429 व NDC No. 034/2021-2022/034243657 दिंनाक 15.04.2021 जिसकी वैधता केवल 15 दिंन है, नकल जमाबन्दी वर्ष 2019-20 नवीन कुमार पुत्र लख्मीचन्द वासी पटीकरा के नाम से प्राप्त है सलंग्न की हुई है । जिससे यह स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि विकास तहसीलदार ने अन्य आरोपीयो से मिलिभगत करके एक षडयंत्र के तहत अवैध क्षेत्र मे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्लाटिंग करने मे सहयोग की ।

वसीका नम्बर 3405 दिंनाक 10.09.2021 मे 2 बिस्वा 13 बिस्वांसी (रकबा 400 वर्ग गज) पूर्व में जगह बाया, पश्चिम में रास्ता 20 फुट चौडा का वर्णन किया हुआ है । तहसीलदार नारनौल से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार वसीका पंजीकृत करते समय विक्रेता द्वारा तहसील नारनौल में दिये गये दस्तावेज पेमेंट रिसिप्ट प्रोपर्टी आई0डी नम्बर HNMCW1002429 व NDC No. 034/2021-2022/034243657 दिंनाक 15.04.2021 जिसकी वैधता केवल 15 दिंन है, नकल जमाबन्दी वर्ष 2019-20 नवीन कुमार पुत्र लख्मीचन्द वासी पटीकरा के नाम से प्राप्त है सलंग्न की हुई है । जिससे यह स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि विकास तहसीलदार ने अन्य

आरोपीयो से मिलिभगत करके एक षडयंत्र के तहत अवैध क्षेत्र मे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्लाटिंग करने मे सहयोग की ।

वसीका नम्बर 3407 दिंनाक 10.09.2021 मे 3 बिस्वा 1 बिस्वांसी (रकबा 460 वर्ग गज) पूर्व में जगह बाया जो देशराज व श्रीमति रंजु सुद को बय की जा रही है, पश्चिम में जगह श्रीमति मंजु देवी व श्रीमति काजल, उतर में रास्ता 24 फुट चौडा व दक्षिण में जगह अन्य का वर्णन किया हुआ है । तहसीलदार नारनौल से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार वसीका पंजीकृत करते समय विक्रेता द्वारा तहसील नारनौल में दिये गये दस्तावेज पेमेंट रिसिप्ट प्रोपर्टी आई0डी नम्बर HNMCW1002429 व NDC No. 034/2021-2022/034243657 दिंनाक 15.04.2021 जिसकी वैधता केवल 15 दिंन है, नकल जमाबन्दी वर्ष 2019-20 नवीन कुमार पुत्र लख्मीचन्द वासी पटीकरा के नाम से प्राप्त है सलंग्न की हुई है । जिससे यह स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि विकास तहसीलदार ने अन्य आरोपीयो से मिलिभगत करके एक षडयंत्र के तहत अवैध क्षेत्र मे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्लाटिंग करने मे सहयोग की ।

वसीका नम्बर 3952 दिंनाक 17.09.2021 में 1 बिस्वा 9 बिस्वांसी (रकबा 218.33 वर्ग गज) पूर्व में जगह अन्य की , पश्चिम में जगह श्रीमति सुषमा, उतर में रास्ता 24 फुट चौडा व दक्षिण में जगह अन्य का वर्णन किया हुआ है । तहसीलदार नारनौल से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार वसीका पंजीकृत करते समय विक्रेता द्वारा तहसील नारनौल में दिये गये दस्तावेज पेमेंट रिसिप्ट प्रोपर्टी आई0डी नम्बर HNMCW1002429 व NDC No. 034/2021-2022/034243657 दिंनाक 15.04.2021 जिसकी वैधता केवल 15 दिंन है, नकल जमाबन्दी वर्ष 2019-20 नवीन कुमार पुत्र लख्मीचन्द वासी पटीकरा के नाम से प्राप्त है सलंग्न की हुई है । जिससे यह स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि विकास तहसीलदार ने अन्य आरोपीयो से मिलिभगत करके एक षडयंत्र के तहत अवैध क्षेत्र मे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्लाटिंग करने मे सहयोग की ।

वसीका नम्बर 3956 दिंनाक 17.09.2021 मे 3 बिस्वा 1 बिस्वांसी (रकबा 460 वर्ग गज) पूर्व में जगह श्रीमति सुषमा देवी , पश्चिम में जगह मनोज कुमार , उतर में रास्ता 24 फुट चौडा व दक्षिण में जगह अन्य का वर्णन किया हुआ है । तहसीलदार नारनौल से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार वसीका पंजीकृत करते समय विक्रेता द्वारा तहसील नारनौल में दिये गये दस्तावेज पेमेंट रिसिप्ट प्रोपर्टी आई0डी नम्बर HNMCW1002429 व NDC No. 034/2021-2022/034243657 दिंनाक 15.04.2021 जिसकी वैधता केवल 15 दिंन है, नकल जमाबन्दी वर्ष 2019-20 नवीन कुमार पुत्र लख्मीचन्द वासी पटीकरा के नाम से प्राप्त है सलंग्न की हुई है । जिससे यह स्पष्ट तौर पर साबित होता है कि विकास तहसीलदार ने अन्य आरोपीयो से मिलिभगत करके एक षडयंत्र के तहत अवैध क्षेत्र मे अपने पद का दुरुपयोग करते हुए प्लाटिंग करने मे सहयोग की ।

उपरोक्त प्राप्त रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि वसीका नम्बर 2798 व 2801 दिंनाक 02.09.2021, वसीका नम्बर 2885, 2892 व 2907 दिंनाक 03.09.2021, वसीका न0 3402, 3405 व 3407 दिंनाक 10.09.2021, 3952 व 3956 दिंनाक 17.09.2021 को पंजीकृत करते समय वसीका की प्रथम पृष्ठ के आरम्भ में जगह मुबईया प्रोपर्टी टैक्स में आई0डी0 नम्बर HNMCW1002442 पर विक्रेता ऋषिदत्त के नाम दर्ज है । जगह मुबईया का खसरा नम्बर DTP नारनौल के Land schedule of urban area declared u/s 7 (A) में नहीं है । इसलिए DTP नारनौल से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है । किस्म वसीकाओं में बैयनामा प्लेन रिहायसी वाका भगवान परशुराम कालोनी नजदीक वेयर हाऊस नारनौल तहसील नारनौल में है लिखा हुआ है । वसीकाओं में हदुदर्बा दिशायें पूर्व, पश्चिम, उतर व दक्षिण दर्शाई हुई है तथा नक्शे भी साथ लगाये हुये है । नगर परिषद नारनौल की प्रोपर्टी टैक्स में आई0डी0 नम्बर HNMCW1002442 के अनुसार यह प्रोपर्टी आई0डी0 ऋषिदत्त पुत्र ब्रहमदत के नाम से 3 बीघा 13 बिस्वा लगभग 11041 वर्ग गज कृषि योग्य भूमि व Unapproved Category की प्रोपर्टी आई0डी0 बनाई हुई है । विकास तहसीलदार नारनौल द्वारा उपरोक्त वसीकाओं को पंजीकृत किया गया तब विक्रेता द्वारा नगर परिषद नारनौल से इसी जमीन में से 8 बिस्वा (1200 वर्ग गज) की दूसरी प्रोपर्टी आई0डी0 नम्बर HNMCW1002429 Approved Category का उपयोग कर जारी की गई No Dues Certificate व Payment receipt NDC की प्रतियां सलग्न की हुई है । विकास तहसीलदार नारनौल ने विक्रेता व प्रोपर्टी डीलरों के साथ मिलीभगत करके अपने पद का दुरूप्योग करते हुये अनाधिकृत कृषि क्षेत्र को Approved Category दिखाकर वसीकायें पंजीकृत की गई है । क्योकि वसीकाओ मे वर्णित प्रोपर्टी आई0डी0 व साथ संलग्न प्रोपर्टी आई0डी0 अलग-अलग है ऐसा इसलिए किया गया क्योकि Unapproved Area की

प्रोपर्टी आई0डी0 HNMCW1002442 को वसीका करते समय System accept नही करता था तथा वसीका रजिस्टर नही हो पाती । प्रोपर्टी आई0डी0 HNMCW1002442 Unapproved category की है इस प्रोपर्टी आई0डी0 में वसीकायें पंजीकृत नहीं की जा सकती । विक्रेता ऋषिदत पुत्र ब्रहमदत निवासी काठ मण्डी नारनौल, अमीष कुमार संघी पुत्र श्री राधेश्याम संघी निवासी मौहल्ला संघीवाड़ा, नारनौल, निलेश कुमार संघी पुत्र श्री राधेश्याम संघी निवासी मौहल्ला संघीवाडा, नारनौल, नवीन कुमार पुत्र श्री लख्मी चन्द निवासी गावं पटीकरा, तहसील नारनौल, धीरज कुमार पुत्र श्री शिव कुमार निवासी पटीकरा हाल कैलाश नगर गली नम्बर 19 रेवाडी रोड नारनौल,सुभाष यादघ पुत्र श्री तोता राम निवासी गांव पटीकरा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ, रवि जांगिड पुत्र श्री बाबूलाल जांगिड निवासी गली न0 03, केशव नगर, नारनौल व अनुराग मान पुत्र श्री ओम प्रकाश मान निवासी मौहल्ला मिश्रवाडा नियर मान जिम, नारनौल ने विकास तहसीलदार नारनौल के साथ मिलीभगत करके Unapproved category कृषि भूमि भगवान परशुराम कालोनी नारनौल की प्रोपर्टी आई0डी0 नम्बर HNMCW1002442 में वसीकायें पंजीकृत करते समय ऋषिदत की प्रोपर्टी आई0डी0 नम्बर HNMCW1002429 की नगर परिषद नारनौल में जमा किये गये विकास शुल्क व अन्य शुल्क का भुगतान 2,67,600/रूपये करके भुगतान रसीद व NDC No. 034/2021-2022/034243657 दिंनाक 15.04.2021 सलग्न की हुई है जिसकी वैधता 15 दिंन की है । यदि प्रोपर्टी आई0डी0 नम्बर HNMCW1002429 की भुगतान रसीद व NDC उपरोक्त वसीकाओं के साथ नहीं लगाई जाती तो पंजीकृत करते समय प्रोपर्टी आई0डी0 नम्बर HNMCW1002442 मे ऑनलाईन पोर्टल नहीं उठाता और अनाधिकृत की वसीकायें पंजीकृत नहीं की जा सकती थी । इस प्रकार विकास तहसीलदार नारनौल ने अपने पद का दुरूप्योग करके जमीन विक्रेता ऋषिदत, प्रोपर्टी डीलर अमीष कुमार संघी, निलेश कुमार संघी, नवीन कुमार, धीरज कुमार ,सुभाष यादव रवि जांगिड व अनुराग मान के साथ मिली भगत करके जमीन विक्रेता व प्रोपर्टी डीलरो द्वारा तैयार किये गये फर्जी रिकार्ड का उपयोग करके धारा 218,420,467,468,471,120बी भा0द0स0 10 HDRUA Act तथा 7 r/w Explanation 2 of PC Act] 1988 का अपराध किया है ।

विकास तहसीलदार नारनौल द्वारा वसीका नम्बर 2992, 2994 व 2997 दिंनाक 06.09.2021, 4057 व 4058 दिंनाक 20.09.2021 तक विक्रेता ऋषिदत्त की अनाधिकृत कृषि क्षेत्र की प्रोपर्टी आई0डी0 HNMCW1002442 भगवान परशुराम कालोनी नजदीक वेयर हाउस नारनौल में 5 वसीकायें पंजीकृत की गई जब विकास तहसीलदार के खिलाफ अनाधिकृत क्षेत्र की वसीकायें पंजीकृत करने की शिकायत हो गई तब उसने अपने बचाव के लिए उपरोक्त वसीकाओं की ततीमा वसीका क्रमश 6643, 6644, व 6645 दिंनाक 27.12.2021 तथा 5727 व 5728 दिंनाक 09.11.2021 को पंजीकृत की गई। विकास तहसीलदार नारनौल ने उक्त 5 ततीमा वसीकायें पंजीकृत की है उनमें विक्रेता की प्रोपर्टी आई0डी0 संख्या HNMCW1002429 का वर्णन किया हुआ है। ततीमा वसीकाओं में "सहवन टाईपिंग की गलती से पेज नम्बर 1 में हैडिंग में वा पेज नम्बर 3 में स्तर नम्बर 5 प्रोपर्टी आई0डी0 नम्बर HNMCW1002442 सहवन लिखा गया जबकि इसकी बजाय प्रोपर्टी आई0डी0 HNMCW1002429 लिखा जाना था । अतः वसीकाओं में प्रोपर्टी आई0डी0 नम्बर HNMCW1002429 सही पढा जाये ।" लिखा गया तथा अपने आप को बचाने की कोशिश की गई ।

ऋषिदत शर्मा की नगर परिषद नारनौल द्वारा बनाई गई अधिकृत क्षेत्र की प्रोपर्टी आई0डी0 नम्बर HNMCW1002429 में कुल रकबा 1200 वर्ग गज है। विकास तहसीलदार नारनौल द्वारा वसीका नम्बर 512, 513, 514, 515 व 516 दिंनाक 07.06.2021 के अनुसार कुल रकबा 1172.66 वर्ग गज जमीन की पहले ही दिंनाक 07.06.2021 को वसीकायें पंजीकृत की गई है। इस प्रोपर्टी आई0डी0 में केवल 27.34 वर्ग गज जमीन ही बची हुई थी। विकास तहसीलदार नारनौल ने इस प्रोपर्टी आई0डी0 में जमीन ना होते हुये भी वसीका नम्बर 2992, 2994 व 2997 दिंनाक 06.09.2021, 4057 व 4058 दिंनाक 20.09.2021 की ततीमा वसीकायें क्रमश, 6643, 6644 व 6645 दिंनाक 27.12.2021 तथा 5727 व 5728 दिंनाक 09.11.2021 कुल रकबा 706 वर्ग गज की पंजीकृत की है। अतः अपनी करतूत छिपाने के लिए विकास तहसीलदार ने जो ततीमा वसीकाऐं की, वे गलत की गई। क्योकि जिस प्रोपर्टी आई0डी0 को वे सहवन गलती (Clerical error) से लिखना भूलना बता रहे थे, उसकी सारी जमीन तो पहले, उन्ही द्वारा ही वसीकाओं के माध्यम से बेची जा चुकी थी ।

जांच की पडताल के दौरान गजे सिंह वर्तमान नायब तहसीलदार नारनौल ने अपने कथन में बतलाया कि अनाधिकृत क्षेत्र में किसी भी प्लाट की रजिस्ट्री नहीं

की जा सकती। नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अनाधिकृत क्षेत्र की रजिस्ट्री पंजीकृत नहीं की जा सकती अधिकृत क्षेत्र की भी रजिस्ट्रीयां बिना NDC के नहीं की जा सकती । NDC Expire होने पर भी रजिस्ट्री पंजीकृत नहीं की जा सकती ।

जांच की पडताल के दौरान कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद नारनौल की रिपोर्ट के अनुसार ऋषिदत शर्मा पुत्र ब्रहमदत शर्मा निवासी काठ मण्डी नारनौल की भगवान परशुराम कलोनी में खसरा नम्बर 3905, 3906 व 3907 में कुल 3 बिघा 13 बिस्वा (11041 वर्ग भूमि Unauthorized Colony (अनाधिकृत कलोनी) का हिस्सा है । Unapproved category की प्रोपर्टी आई0डी0 में विकास शुल्क लागू नहीं है । Unapproved / Unauthorized category की प्रोपर्टी की NDC पोर्टल से Generate नहीं होती है ।

अतः जांच की पडताल से यह स्पष्ट है कि (1) अमीष संघी पुत्र राधे श्याम संघी निवासी मौहल्ला संघीवाडा नारनौल, (2) निलेश संघी पुत्र राधे श्याम संघी निवासी मौहल्ला संघीवाडा नारनौल, (3) नवीन कुमार पुत्र लखमी चन्द निवारसी पटीकरा तहसील नारनौल, (4) धीरज कुमार पुत्र शिव कुमार निवासी पटीकरा हाल कैलाश नगर गली नं0 19 रेवाडी रोड नारनौल, (5) सुभाष यादव पुत्र तोताराम निवासी पटीकरा तहसील नारनौल, (6) रवि जांगिड पुत्र बाबुलाल जांगिड निवासी केशव नगर गली नं0 3 नारनौल, व (7) अनुराग मान पुत्र औम प्रकाश मान निवासी मौहल्ला मिश्रवाडा नजदीक मान जिम नारनौल ने (8) ऋषिदत के साथ उसकी भूमि का ईकरारनामा किया तथा (9) विकास शर्मा पुत्र राम सिंह निवासी नई सराय नारनौल हाल अनुबन्धित कनिष्ट अभियन्ता नगर परिषद नारनौल व अन्य नामालूम कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ मिलकर एक Property ID HNMCW1002429 बनवा ली जिसमें गलत रिपोर्ट प्रयोग कर Category "Unapproved" की जगह "Approved" करवा ली । तदोत्परान्त (10) विकास तत्कालिन तहसीलदार नारनौल पुत्र दरिया सिंह निवासी धर्मगढ जिला पानीपत व तहसील के अन्य नामालूम कर्मचारियों से मिलीभगत कर Unauthorised / Not Declared/ Not Regularizeda क्षेत्र मे अवैध प्लॉटिंग कर दी । उसके इस कृत्य से सरकार को राजस्व की हानि हुई क्योकि यदि Colony काटने के लिए लाईसेंस लिया जाता तो सरकार को राजस्व प्राप्त होता । यह सब कार्य एक षडयंत्र के तहत मिलीभगत करके किया गया है । इन प्लॉटों को उपरोक्त आरोपियों ने विभिन्न लोगो को "Regularized/Approved/Authorized" कॉलोनी के प्लाट बताकर बेच दिये तथा लोगों से धोखा धडी की है । अतः उपरोक्त सभी के खिलाफ धारा 218,420,467,468,471,120बी भा0द0स0 10 HDRUA Act तथा 7 r/w Explanation 2 of PC Act, 1988 के तहत मुकदमा दर्ज कर गहन अनुसंधान करने की अनुशंसा की गई थी । इसके अलावा अभियोग में अनुसंधान के दौरान किसी अन्य कर्मचारी/अधिकारी व किसी अन्य व्यक्ति की मिली भगत पाई जावे तो उसे भी अनुसंधान के दौरान देख लिये जाने की अनुशंसा की गई थी । आरोपियों का यह कृत्य Ex-Facie Criminal Nature का है जिसके लिये मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक 4/2/2021-1 VII दिनांक 26.07.2022 द्वारा जारी निर्देशो के तहत 17ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की अनुमति की आवश्यकता नहीं है । श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला के कार्यालय क्रमांक 5639/आई-2/भ्र0नि0ब्यूरो दिनांक 09.02.2024 के अनुसार उपरोक्त जांच की अन्तिम रिपोर्ट प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अनुमोदन उपरान्त इस कार्यालय मे प्राप्त हुई है। उपरोक्त सभी के खिलाफ धारा 218,420,467,468,471,120बी भा0द0स0 10 HDRUA Act तथा 7 r/w Explanation 2 of PC Act, 1988 के तहत अभियोग अंकित करने के लिए ड्राफट तहरीर तैयार करके अनुमोदन के लिए पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम के कार्यालय पत्र क्रमांक 938/ भ्र0नि0ब्यूरो दिनांक 13.02.2024 के अनुसार मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला भेजी गई । मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पत्र क्रमांक 5869/आई-2/भ्र0नि0ब्यूरो दिनांक 15.02.2024 के अनुसार तहरीर अनुमोदन होकर प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम मण्डल गुरूग्राम द्वारा मन निरीक्षक को अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर मार्क की है। आज मै हाजिर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम हुँ कि उपरोक्त आरोपीयान के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिए तहरीर तैयार करके ASI बसन्त न0 138/झज्जर के माध्यम से थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम भेजी जा रही है । अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सूचित किया जाये । अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों को भिजवाई जाए । अभियोग की फाईल व असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतु निरीक्षक राजकरण, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, गुरूग्राम के पास भिजवाई जावे । नि0 नन्ही देवी निरीक्षक नन्ही देवी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम, दिनांक 07-03-2024 समय – 6 AM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया

Gurugram Range Gurugram

CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पैशल रिपोर्ट इलाका मजिस्ट्रेट साहब नारनौल बदस्त ASI बसन्त न0 138/झज्जर के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश नि0 राजकरण अ0नि0ब्यूरो गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा ASI बसन्त न0 138/झज्जर के हवाले की गई ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2. (की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** RAJ KARAN **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 130NNL **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jai chand

Rank (पद): S.I

No. (सं.): 339/RWR

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))